

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 314]

रायपुर, सोमवार, दिनांक 6 जुलाई 2020 — आषाढ 15, शक 1942

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 6 जुलाई 2020

अधिसूचना

क्रमांक एफ 8-41/2016/32.— भू-संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 (2016 का 16) की धारा 84 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ भू-संपदा (विनियमन एवं विकास) नियम, 2017 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में,—

नियम 3 में, उप-नियम (4) में, शब्द, “खण्ड” के पश्चात्, चिन्ह एवं अंक “(1)” के स्थान पर, चिन्ह एवं शब्द “(क)” प्रतिस्थापित किया जाये।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी.तिर्की, उप-सचिव.

अटल नगर, दिनांक 6 जुलाई 2020

क्रमांक एफ 8-41/2016/32.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ भू-संपदा (विनियमन एवं विकास) नियम, 2017 संबंधी इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 06-07-2020 का हिन्दी एवं अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी.तिर्की, उप-सचिव.

Atal Nagar, the 6th July 2020

NOTIFICATION

No. F 8-41/2016/32.— In exercise of the powers conferred by Section 84 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 (16 of 2016), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Real Estate (Regulation and Development) Rules, 2017, namely:-

AMENDMENT

In the said rules,-

In rule 3, in sub-rule (4), after the word "clause", for the symbol and figure "(1)", the symbol and word "(a)" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
C.TIRKEY, Deputy Secretary.